



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बथुआ गॉंधीघाट नकहरा रोड, मीरजापुर।
Mo. No.- 9473942677

Email Id- jalnigam3@gmail.com

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
मीरजापुर।

पत्रांक
विषय:-

10490 / एम-6 / 168 दिनांक 20-08-2026
जनपद मीरजापुर के हिन्दुस्तान ई-समाचार पत्र में दिनांक 18.08.2026 को "नल लगा देने से नहीं चलेगा काम, घर तक पानी पहुँचाना होगा" शीर्षक से प्रसारित समाचार की आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद मीरजापुर के हिन्दुस्तान ई-समाचार पत्र में दिनांक 18.08.2026 को "नल लगा देने से नहीं चलेगा काम, घर तक पानी पहुँचाना होगा" शीर्षक शिकायत प्राप्त हुई है। समाचार पत्र में कुछ स्थानों पर नल कनेक्शन न मिलने का वर्णन किया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि पेयजल योजना के निर्माण कार्य के दौरान इच्छुक ग्रामवासियों को नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया था। तदसमय जिन ग्रामवासियों द्वारा नल कनेक्शन नहीं लिया गया था, वर्तमान में इच्छुक ग्रामवासियों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम में निहित गाइड लाइन के अनुसार बिखरी हुयी बसावटे/आबादी से दूर एकाकी घरों का समावेश योजना में न होने के कारण ऐसी बस्तियों/मजरा में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो सका है। समाचार पत्र में कुछ स्थलों पर जलापूर्ति प्राप्त न होने का वर्णन किया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि शिरोपरि जलाशय से दूरस्थ बिन्दु पर स्थित कुछ घरों में जलापूर्ति प्रभावित है, जिसका कारण शिरोपरि जलाशय के नजदीक के ग्रामों में ग्रामवासियों द्वारा पेयजल बर्बादी किया जाना यथा खेत/क्यारियों का सिंचाई कार्य, टोटी खुला रखना, दुल्लू पम्प का प्रयोग किया जाना है। उक्त के कारण प्रेशर ड्रॉप हो जाने की वजह से शिरोपरि जलाशय से दूरस्थ बिन्दु, टेल एण्ड व ऊँचाई पर स्थित नलों में जलापूर्ति प्रभावित होती है। समाचार पत्र में वर्णित पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कम में अवगत कराना है कि विभिन्न विभागों-विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, बी०एस०एन०एल० आदि द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के दौरान अत्यधिक मात्रा में पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन क्षतिग्रस्त होने की घटना घटित होती रहती है। पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में यथाशीघ्र मरम्मत/तीकरण कार्य करा दिया जाता है।

भवदीय


अधिशासी अभियन्ता

प्र०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- 1 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2 मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर।
- 3 जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता